

सरोगेसी नयिमों में संशोधन

प्रलिस के लयि:

[सरोगेसी](#), सरोगेसी (वनियिमन) अधनियिम 2021, मेयर-रोकटिंग्की-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सडिरोम, वाणजियकि सरोगेसी पर प्रतबिंध

मेन्स के लयि:

भारत में सरोगेसी से संबंघति कानून एवं हाल ही में संशोधति प्रावधान

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में भारत सरकार ने [सरोगेसी \(वनियिमन\) नयिम, 2022](#) में संशोधन कयि है और साथ ववाहति जोडों को कसिी दाता के अंडे अथवा शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमतति दी है, यदिकोई साथी कसिी चकितिसीय स्थतिसि से पीडति है।

- इसने मार्च 2023 में नयिमों में कयि गए पछिले संशोधन को बदल दयि, जसिमें दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतबिंध लगा दयि गया था।

संशोधति सरोगेसी नयिम के मुख्य प्रावधान क्यो हैं?

- पृष्ठभूमि:** मार्च 2023 के संशोधति नयिमों ने केवल इच्छुक जोडे के स्वयं के युग्मकों के उपयोग की अनुमतति दी, वशिष्ट चकितिसीय स्थतियों वाले जोडों को सरोगेसी के माध्यम से जैवकि बच्चे को जन्म देने से रोक दयि था।
 - इन प्रतबिंधों ने संकट को जन्म दयि और साथ ही प्रभावति जोडों के लयि माता-पति बनने के अधिकार को चुनौती भी दी।
 - इसे [मेयर-रोकटिंग्की-कुस्टर-हाउजर सडिरोम](#) से पीडति एक महिला द्वारा [सर्वोच्च न्यायालय](#) में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पडा, जो एक जन्मजात विकार है और साथ ही बांझपन का कारण भी बनता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इन नयिमों की प्रभावकारिता के बारे में संदेह व्यक्त कयि और कहा किऐसे नयिम सरोगेसी के मूल उद्देश्यों को कमजोर करते हैं।
- हाल के संशोधति प्रावधान:** यह प्रदाता युग्मक के साथ सरोगेसी की अनुमतति देता है यदिकेच्छुक दंपति में से कसिी एक को [जिला चकितिसा बोर्ड](#) द्वारा कसिी चकितिसीय स्थतिसि के कारण प्रदाता युग्मक की आवश्यकता के लयि प्रामाणति कयि गया हो।
 - इसका तात्पर्य यह है कयिद दंपति में चकितिसीय समस्याएँ हैं तो वे अभी भी सरोगेसी का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
 - सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली तलाकशुदा या वधिवा महिलाओं के लयि प्रदाता शुक्राणु के साथ महिला के स्वयं के अंडाणुओं का प्रयोग अनविर्य है।

सरोगेसी क्यो है?

- परचिय:** सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक महिला, जसि [सरोगेट मदर/जननी](#) के रूप में जाना जाता है, कसिी अन्य व्यक्तिया दंपति के लयि बच्चे को पोषण और प्रसव हेतु सहमत होती है, जसि इच्छति माता-पति के रूप में जाना जाता है।
- प्रकार:**
 - पारंपरिक सरोगेसी:** पारंपरिक सरोगेसी में सरोगेट के अंडाणु को नषिचति करने के लयि इच्छति जनक के शुक्राणु का प्रयोग करना शामिल है।
 - सरोगेट गर्भाकाल को पूरा करती है और [परगामी शशु जैवकि/वास्तवकि रूप से सरोगेट माँ तथा इच्छति पति से संबंघति](#) होता है।
 - जेस्टेशनल सरोगेसी:** जेस्टेशनल सरोगेसी में, बच्चा जैवकि रूप से सरोगेट से संबंघति नहीं होता है।
 - इच्छति पति के शुक्राणु (या दाता शुक्राणु) और जैवकि माँ के अंडे (या दाता अंडे) का उपयोग करके बनाया गयाभ्रूण, उसके कार्यकाल के लयि सरोगेट के गर्भाशय में प्रत्यारोपति कयि जाता है।

■ सरोगेसी व्यवस्था:

- **परोपकारी सरोगेसी:** इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अतिरिक्त सरोगेट माँ के लिये किसी मौद्रिक मुआवज़े को शामिल नहीं किया गया है।
 - परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट के लिये प्राथमिक उद्देश्य आमतौर पर किसी अन्य व्यक्तिया जोड़े को बच्चे को जन्म देने और उनके सपने को पूरा करने में मदद करना है।
- **वाणजियिक सरोगेसी:** इसमें **बुनयादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से अधिक मौद्रिक लाभ या इनाम (नकद या वस्तु के रूप में) के लिये की गई सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल हैं।**
 - यह मुआवज़ा स्थान, कानूनी नयिमों और सरोगेसी समझौते की वशिष्ट शर्तों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

भारत में सरोगेसी से संबंधित अन्य प्रावधान क्या हैं?

- **अनुमति: सरोगेसी (वनियिमन) अधिनियम 2021** के तहत, सरोगेसी केवल **परोपकारी उद्देश्यों, बाँझपन या बीमारी वाले युगल** हेतु स्वीकार्य है।
 - बकिरी या शोषण के प्रयोजन सहित **वाणजियिक सरोगेसी** सख्ती से प्रतिबंधित है।
- **सरोगेसी के संबंध में दंपतियों के लिये पात्रता आवश्यकताएँ:** युग्म को न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिये विवाहित होना आवश्यक है।
 - पत्नी की आयु **25-50 वर्ष** के बीच और पति की आयु **26-55 वर्ष** के बीच होनी चाहिये।
 - दवियांग अथवा गंभीर विकार से ग्रस्त बच्चों के मामलों के अतिरिक्त, दंपति का **जैविक, दत्तक** अथवा सरोगेसी के माध्यम से जन्मा कोई भी जीवित बच्चा नहीं होना चाहिये।
- **सरोगेट माता हेतु मानदंड:** सरोगेट माता का दंपति का निकट संबंधी होना आवश्यक है।
 - वह एक विवाहित महिला होनी चाहिये और उसका स्वयं का बच्चा होना चाहिये।
 - उसे **25 से 35 वर्ष** के बीच होना चाहिये तथा उसने पहले सरोगेसी न की हो।
- **जन्म पर माता-पति की स्थिति:** सरोगेसी की प्रक्रिया से जन्म लेने वाले शिशु को इच्छुक दंपति का जैविक बच्चा माना जाता है।
 - भ्रूण के गर्भपात के लिये **गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम** के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सरोगेट माता और संबंधित अधिकारियों दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है।

PDF Refernce URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/amendment-to-surrogacy-rules>

